विजया बैंक
VIJAYA BANK
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)
A friend you can bank upon

डिजिटल बैंकिंग
DIGITAL BANKING

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2016 - 2017

मंडल के निदेशक
Board of Directors

श्री जी नारायणन
गैर कार्यपालक अध्यक्ष
Shri G Narayanan
Non-Executive Chairman

डॉ. किशोर सांसी
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Dr. Kishore Sansi
Managing Director & CEO

श्री बी एस रामा राव
कार्यकारी निदेशक
Shri B S Rama Rao
Executive Director

श्री नागेश्वर राव वाई
कार्यकारी निदेशक
Shri Y Nageswara Rao
Executive Director

श्री संजय कुमार
सरकारी नामिती निदेशक
Shri Sanjay Kumar
Govt. Nominee Director

श्री जी पी बोरा
भा.रि.बैं. नामिती निदेशक
Shri G P Borah
R.B.I. Nominee Director

श्री एम भगवंत राव
गैर अधिकारी निदेशक
Shri M. Bhagavantha Rao
Non Official Director

श्री वी वी आर शास्त्री
गैर अधिकारी निदेशक
Shri V V R Shastry
Non Official Director

श्री एस रघुनाथ
अंशकालिक गैर अधिकारी निदेशक
Shri S Raghunath
Part-Time Non official Director

इस वर्ष पदमुक्त हुए मंडल के निदेशक
Board of Directors who demitted office this year

श्रीमती भारती राव
शेयरधारक निदेशक
Smt. Bharathi Rao
Shareholder Director

श्री पी वैद्यनाथन
शेयरधारक निदेशक
Shri P Vaidyanathan
Shareholder Director

श्रीमती सुमा वर्मा
भा.रि.बैं. नामिती निदेशक
Smt. Suma Varma
R.B.I. Nominee Director

श्री वाई.मुरलीकृष्णा
कामगार निदेशक
Shri Y Muralikrishna
Workmen Director

विषय वस्तु	पृष्ठ सं.	CONTENTS	Page No.
सूचना	2	Notice	165
निष्पादन वैशिष्टय 2016-17	7	Performance Highlights 2016-17	171
निष्पादन की एक झलक	9	Performance at a glance	173
शेयरधारकों को अध्यक्ष का संदेश	10	Message from the Chairman to Shareholders	174
शेयरधारकों को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश	12	Message from the Managing Director & CEO to Shareholders	176
निदेशकों की रिपोर्ट	15	Directors' Report	179
व्यापार जिम्मेदारी रिपोर्ट	48	Business Responsibility Report	217
कंपनी शासन रिपोर्ट	58	Corporate Governance Report	229
कंपनी शासन रिपोर्ट पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र	83	Auditor's Certificate on Corporate Governance Report	255
तुलन पत्र	84	Balance Sheet	256
लाभ व हानि लेखा	85	Profit & Loss Account	257
तुलन पत्र व लाभ व हानि लेखे की अनुसूचियां	86	Schedules to Balance Sheet and Profit & Loss Account	258
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	94	Significant Accounting Policies	266
लेखों पर टिप्पणियां	101	Notes on Accounts	274
नकदी प्रवाह विवरण	130	Cash Flow Statement	304
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	132	Independent Auditors' Report	306
बेसल प्रकटीकरण दस्तावेज	134	Basel Disclosure Document	308
अविस्मरणीय घटनाओं की झलकियाँ	161	Glimpses of Memorable Events	161
एनईसीएस फार्म	337	NECs Form	338
उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश फार्म	339	Attendance Slip cum Entry Form	340
प्रॉक्सी फॉर्म	341	Proxy Form	342

वार्षिक सामान्य बैठक	ANNUAL GENERAL MEETING
दिनांक : 23 जून, 2017 **समय** : 10.00 बजे **स्थान** : मुल्की सुंदर राम शेट्टी सभागृह, विजया बैंक, प्रधान कार्यालय, एम. जी. रोड, बेंगलूरु - 560 001	**Date : 23rd June, 2017 Time : 10.00 a.m.** **Place :** Mulki Sunder Ram Shetty Auditorium, Vijaya Bank Head Office, M.G. Road, Bengaluru - 560001

लेखा परीक्षक AUDITORS	पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT
मेसर्स पीकेएफ श्रीधर एण्ड संतानम एलएलपी M/s. PKF SRIDHAR & SANTHANAM LLP कृते मेसर्स जगन्नाथन एण्ड सरबेश्वरन For M/s. Jagannathan & Sarabeswaran कृते मेसर्स शिव जिंदल एण्ड कं. For M/s. Shiv Jindal & Co कृते मेसर्स ओ पी बग्ला एण्ड कं. For M/s. O P BAGLA & Co.	**मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** **M/s. Link Intime India Private Limited** **ईकाई : विजया बैंक** Unit: Vijaya Bank **सी -13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड** C-13, Pannalal Silk Mills Compound, **एल.बी.एस.रोड, भांडूप (पश्चिम),** मुंबई - 400 078 L B S Road, Bhandup (West), Mumbai - 400 078 दूरभाष Phone : (022) 25946970, फैक्स Fax : (022) 25946969 ई-मेल E-mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

विजया बैंक VIJAYA BANK

(भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय Head Office No. 41/2, एम.जी.रोड, M.G. Road, बेंगलूरु Bengaluru - 560 001

दूरभाष Phone : 080 - 2558 4066 (20 लाईन्स lines) फैक्स Phone : 080 - 255994737

वेबसाईट Website : www.vijayabank.com

विजया बैंक

प्रधान कार्यालय : बेंगलूरु - 560001

सूचना

यह नोटिस दिया जाता है कि विजया बैंक (शेयर व बैठक) विनियमावली 2008 के नियम 56 के अंतर्गत विजया बैंक के शेयरधारकों की सत्रहवी वार्षिक सामान्य बैठक, शुक्रवार, 23 जून, 2017 को सुबह 10.00 बजे मुल्की सुंदर राम शेट्टी सभागृह, विजया बैंक, प्रधान कार्यालय, बेंगलूर - 560001 में आयोजित की जाएगी जिसमें नीचे उल्लिखित कारोबार किया जाएगा :

सामान्य कारोबार

मद सं.1 : 31 मार्च 2017 तक के लेखापरीक्षित बैंक के तुलन-पत्र, उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का लाभ व हानि लेखा एवं लेखों से संबंधित अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करना, अनुमोदित करना तथा अंगीकार करना.

मद सं.2 : वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए बैंक के शेयरों पर लाभांश की घोषणा.

विशेष कारोबार

मद सं.3 : निम्नलिखित पर एक विशेष संकल्प (संकल्पों) के रूप में विचार करना और उचित समझे जाने पर संशोधन के साथ या बिना संशोधन पारित करना :

''**संकल्प किया जाता है** कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (अधिनियम), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (विनियमन अधिनियम), विजया बैंक (शेयर एवं बैठकें संशोधन) विनियम, 2008 (बैंक विनियम), विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 (फेमा), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनिमय, 2009 (सेबी आई.सी.डी.आर. विनियम), विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत से बाहर रह रहे व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण एवं निर्गम) विनिमय, 2000, समय-समय पर संशोधनों के यथा लागू प्रावधानों तथा भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्गम नियम एवं विनियम, दिशानिर्देशों, परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों और/अथवा अन्य कोई सक्षम प्राधिकरण और यथा लागू कानून, नियम एवं विनिमय (फिलहाल उनमें हुए संशोधन अथवा प्रवर्तनों को शामिल करके), सेबी (दायित्व तथा प्रकटीकरण अपेक्षाओं को सूची में सम्मिलित करना) विनियम, 2015, स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ बैंक द्वारा किए गए करारों, भारत सरकार और/अथवा भारतीय रिजर्व बैंक और/अथवा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के यथा लागू एवं आवश्यक किसी अनुमोदन, सहमति, अनुमति अथवा स्वीकृति, भारत अथवा बाहरी देश तथा इस संबंध में जैसा भी आवश्यक हो, के अधीन किसी प्राधिकरण के अनुमोदन सहमति, अनुमति अथवा स्वीकृति अथवा निदेशक मंडल (जिसे अब से ''बोर्ड'' कहा गया है, जिस शब्द में बोर्ड द्वारा गठित कोई समिति शामिल है) शेयरधारकों की सहमति आई.सी.डी.आर. विनियम के अध्याय तखखख के अनुसार एतद्वारा सृजन,प्रस्ताव,निर्गम तथा आबंटन हेतु बोर्ड को अर्हक संस्थागत संस्थापक द्वारा सेबी आई.सी.डी.आर. विनियम के अध्याय तखखख में परिभाषित तथा ऐसे निवेशक बैंक के मौजूदा सदस्य एक या अधिक संस्थापकों के माध्यम से बोर्ड द्वारा जैसा भी निर्णय लिया जाये और लागू कानून एवं विनियमों में अनुमत होगा, चालू बाजार की स्थिति एवं अन्य संगत तथ्यों पर विचार करते हुए और जहां आवश्यक हो अग्रणी प्रबंधक/कों और/अथवा हामीदार और/अथवा सलाहकारों के परामर्श से ऐसे समय या समयों पर, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर उन नियम एवं शर्तों पर, इस ऑफर, निर्गम एवं आबंटन के समय निवेशकों की ऑफर, निर्गम एवं आबंटन किया जाना है, उनकी श्रेणी निर्धारित करने के विवेकाधिकार सहित इस प्रकार प्रीमियम मूल्यों को शामिल करके कुल रु 1000 करोड (रूपए एक हजार करोड मात्र) की राशि जुटाने तक के शेयर निर्माण, प्रस्तुत, निर्गत एवं आबंटित करने की सहमति दी जाती है.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि निर्गम ईक्विटी शेयर की रैंकिंग बैंक के लाभांश युक्त वर्तमान शेयरों के समरूप होगी और घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के शेयर घोषित लाभांश के हकदार होंगे.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय viii के अनुसरण में पात्र संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में :

क. आईसीडीआर विनियम के अध्याय viii के अनुसार प्रतिभूतियों का आवंटन केवल पात्र संस्थागत खरीदारों के लिए किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णत: प्रदत्त होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों के आवंटन के इस संकल्प के दिनांक से 12 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा.

ख. आई.सी.डी.आर. के विनियमन 85(1) के प्रावधान के आगे, बैंक को विनियम के अनुसार निर्धारित आधार मूल्य से अधिकतम पांच प्रतिशत की रियायत में शेयर उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकृत किया जाता है.

ग. प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत के निर्धारण के लिए सुसंगत दिनांक आईसीडीआर विनियम के अनुसार होगा.

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि उक्त संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड को बैंक के निमित्त अधिकृत किया जाए, कि वह सभी कार्य, करार, कार्रवाई करें जिसमें मसौदे को तैयार करने और अनुमोदन देने के साथ-साथ निर्गम के प्रारूप और प्रक्रिया को निर्धारित करना, अंतिम ऑफर दस्तावेज हेतु निर्गम का फार्म एवं उसे निर्गम करने की प्रक्रिया तय करना,

जिसमें उन निवेशकों की श्रेणी, जिन्हें ईक्विटी शेयर निर्गम एवं आबंटित किए जाने हैं, आबंटित किए जाने वाले ईक्विटी शेयरों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम का प्रीमियम मूल्य, शामिल होंगे, जैसा कि संपूर्ण विवेकाधिकार में समुचित प्रतीत हो और सभी प्रश्नों, कठिनाइयों अथवा संदेह, जो शेयरों के निर्गम, ऑफर अथवा आबंटन के समय प्रस्तुत हों और निर्गम प्राप्तियों का सदुपयोग, इसके सदस्यों की सहमति अथवा अनुमोदन की अपेक्षा किए बिना या अन्यथा, इस आशय से कि सदस्यों द्वारा इस संकल्प के माध्यम से अपना अनुमोदन अभिव्यक्त कर दिया गया है, जैसा कि संपूर्ण विवेकाधिकार में समुचित प्रतीत हों.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि बोर्ड को, एतद्वारा अग्रणी प्रबंधकों/विधिक सलाहकारों, हामीदारों, बैंकरों, परामर्शदाताओं को जरूरत के अनुसार काम पर रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और इस प्रकार के अभिकरणों को ईक्विटी शेयरों को प्रस्तावित करने और इससे संबंधित कार्यों में शामिल किया जाएगा और श्रमपूर्ति कमीशन, दलाली, शुल्क या इसी तरह के व्यय और वे ऐसे अभिकरणों के साथ सभी प्रकार की व्यवस्थाओं, समझौतों ज्ञापनों, दस्तावेजों इत्यादि का निष्पादन भी करेंगे और जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं उन स्टॉक एक्सचेंजों में ईक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने का प्रयास करेंगे.''

यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को एतद्वारा निदेशकों की समिति को गठित करने, निदेशकों की समिति/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अपनी सभी या कुछ शक्तियां प्रदत्त करने तथा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक(कों) उपरोक्त संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए तथा ऐसे सभी कार्यों, प्रलेखों, मामलों तथा अन्य कार्यों को करने एवं ऐसे परिवर्तनों या संशोधनों को स्वीकार करने जो उचित और विधिवत हों, और ईक्विटी शेयर के आबंटन के संबंध में किसी प्रश्न या कठिनाई निष्पादन हेतु आवश्यक निर्देशों के सहित या रहित प्राधिकृत किया जाता है :

- आवश्यकता के अनुसार ड्राफ्ट को अनुमोदित करना/अंतिम रूप से प्रस्तावित दस्तावेजों को किसी अन्य प्राधिकारी/व्यक्तियों के समक्ष दायर करना ;
- निर्गम मूल्य, शेयरों के आबंटन की संख्या, निर्गम समय रेखा का अनुमोदन, ईक्विटी शेयरों के विनियोजन और आबंटन का आधार ;
- ईक्विटी शेयरों के निर्गम से संबंधित सभी करारों, समझौतों तथा सभी वांछनीय दस्तावेजों, कार्यों एवं प्रपत्रों के निष्पादन एवं सुपुर्दगी की व्यवस्था एवं प्रबंध करना ;
- ऐसे बैंक खाते खोलना जो ऑफर के संदर्भ में आवश्यक हों ;
- ऐसे सभी कार्यों, मामलों व अन्य कार्यों को करना तथा सभी दस्तावेजों को निष्पादित करना और ऐसे सभी शुल्कों का भुगतान करना जो संपूर्ण विवेक में आवश्यक प्रतीत होते हों, और संव्यवहारों के प्रयोजन से वांछनीय हों ;
- उचित प्राधिकारियों से ऐसे सभी आवश्यक आवेदन करना तथा इस संबंध में विनियामक पूर्ति के आवश्यक कार्य करना ;
- बैंक के ईक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज(जों) को आवेदन देना जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं.''

निदेशक मंडल के आदेश से

कृते विजया बैंक

ह/–

स्थान : बेंगलूर **(डॉ. किशोर सांसी)**

दिनांक : 09.05.2017 **प्रबंध निदेशक एवं सीईओ**

टिप्पणियां

मद संख्या 3 के संबंध में भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने के लिए विवरणात्मक ब्यौरा इसके साथ संलग्न है.

1. **प्रॉक्सी की नियुक्ति :**

बैठक में भाग लेकर वोट देने के हकदार शेयरधारक, खुद के बजाय बैठक में भाग लेकर वोट देने के लिए किसी प्रॉक्सी को नियुक्त करने का भी हकदार है और ऐसे प्रॉक्सी को बैंक के शेयरधारक होने की ज़रूरत नहीं है. तथापि, ऐसे प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं है. विजया बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता. प्रॉक्सी फार्म तभी प्रभावी होगा जब उसे वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम 4 दिन पहले अर्थात शाम 5.00 बजे शनिवार, 17 जून, 2017 को या उससे पहले यानी समापन घंटों तक या उससे पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, विजया बैंक, मंडल सचिवालय, 41/2, एम.जी.रोड, बेंगलूर – 560001 को जमा/प्रस्तुत किया गया हो.

2. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

कोई भी व्यक्ति, किसी ऐसी कंपनी या कंपनी निकाय, जो बैंक का शेयरधारक हो, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या वोट देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति करते हुए संकल्प की ऐसी प्रतिलिपि जिसे उस बैठक के अध्यक्ष ने, जिसमें उसे पारित किया गया हो, सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया हो, बैठक की तारीख से कम से कम 4 दिन पहले अर्थात शाम 5.00 बजे शनिवार, 17 जून, 2017 को या उससे पहले यानी समापन घंटों तक या उससे पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, विजया बैंक, मंडल सचिवालय, 41/2, एम.जी.रोड, बेंगलूर – 560001 को जमा/प्रस्तुत की गयी हो.

3. **उपस्थिति पर्ची–सह–प्रवेश पर्ची**

शेयर धारकों की सुविधा के लिए इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची–सह–प्रवेश पर्ची संलग्न की गयी है. शेयर धारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे संलग्न पर्ची भरें और उसमें निर्दिष्ट स्थान में अपने हस्ताक्षर कर उसे बैठक के स्थान में अभ्यर्पित करें. शेयर धारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को चाहिए कि वह उपस्थिति–सह–प्रवेश पर्ची पर यह उल्लेख करें कि वह 'प्रॉक्सी' है या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' जो भी मामला हो.

4. **सदस्यों के रजिस्टर के बंद होना :**

सत्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में और शेयरधारकों को अंतिम लाभांश पाने के लिए हकदार बनाने के लिए विजया बैंक (शेयरों और बैठक) विनियम 2003 के खंड 12 के अनुसरण में, सदस्यों के रजिस्टर और बैंक शेयर आंतरण बहियां शनिवार 17 जून 2017 से शुक्रवार 23 जून 2017 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी.

5. **मताधिकार**

अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मताधिकार हेतु पात्र नहीं होगा.

उपर्युक्त के अधीन, विनियमन 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक जो अंतिम दिनांक यानि शुक्रवार, 16 जून 2017 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत होगा.

विजया बैंक (शेयर और बैठकें संशोधन) विनियम, 2003 के विनियम 10 के अनुसार कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नामों में है तो रजिस्टर में जिसका नाम पहले है, मतदान के संबंध में, उसको एकमात्र शेयरधारक माना जाएगा.

6. **ई–वोटिंग: सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार**

नोटीस में सूचित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने हेतु बैंक के शेयरधारकों को अपने अधिकार के प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने मे बैंक सहर्ष है. अपने मतदान करने के लिए सक्षम बनाने के लिए सभी शेयरधारकों को एक अलग सूचना प्रेषित की जाएगी

रिमोट ई–मतदान की अवधि 20.06.2017 (मंगलवार) को सुबह 10.00 बजे से शुरू होती है और 22.06.2017 (गुरुवार) शाम 5.00 बजे समाप्त होती है. शेयरधारकों / लाभार्थी मालिकों के ई–वोटिंग अधिकारों को उन द्वारा यथा 16 जून 2017, जो इस उद्देश्य के लिए अंतिम दिनांक है. अंतिम तारीख को, भौतिक या अमूर्त रूप में बैंक के शेयर धारित शेयरधारक, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मत डाल सकते हैं.

7. **लाभांश का भुगतान**

मंडल की सिफारिश के अनुसार तथा वार्षिक सामान्य बैठक में घोषित लाभांश, घोषणा के 30 दिनों के अंदर उन सभी को लाभांश अदा किया जाएगा जो बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है :

क) अमूर्त रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में 16 जून, 2017 को कारोबार घंटों की समाप्ति पर राष्ट्रीय सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) प्रस्तुत की गयी सूची के अनुसार हितकारी मालिक हैं.

ख) शेयरधारक , जिनके नाम यथा शुक्रवार, 16 जून 2017 को बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है.

ऐसे शेयरधारकों को लाभांश वारंट ईसीएस या बैंक द्वारा अनुमोदित अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के ज़रिए शेयर अंतरण एजेंट अर्थात मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई के माध्यम से घोषणा के 30 दिनों के अंदर अर्थात 22 जुलाई, 2017 के अंदर भेजा/जमा किया जाएगा.

8. **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) द्वारा लाभांश का भुगतान**

यदि शेयरधारक जिन्होंने अब तक हमारे रजिस्ट्रार, मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या निक्षेपागार प्रतिभागी (डीमैट होल्डिंग्स के मामले में) को एनईसीएस / बैंक खाता विवरण नहीं भेजा है तो, हम अनुरोध करते हैं कि उक्त ब्योरे संलग्न प्रारूप में दें, ताकि लाभांश का शीघ्र, सुरक्षित और सही भुगतान किया जा सके.

9. **दावा रहित लाभांश, यदि कोई हो तो :**

पिछली अवधियों के लिए जिन शेयरधारकों ने लाभांश वारंट प्राप्त नहीं किया है/भुनाया नहीं है, अगर कोई हो तो, से अनुरोध है कि बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें.

घोषणा के दिनांक से 30 दिनों की समाप्ति के बाद 7 दिनों के अंदर यदि किसी शेयरधारक ने लाभांश भुनाया/का दावा न किया हो तो बैंक लाभांश खाते से ऐसी राशि का एक अलग खाते ..... वर्ष के लिए विजया बैंक का अदत्त लाभांश खाता'' में अंतरण कर दिया जाएगा.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10(ख) के अनुसार 7 वर्षों तक अदत्त या दावा रहित लाभांश की राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा संस्थापित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाएगा तथा इसके बाद बैंक या आईईपीएफ से इसकी अदायगी का दावा नहीं किया जा सकता है.

(भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2009-10 के लिए बैंक के पास स्थित अदत्त/ दावा रहित लाभांश को 13.08.2017 को आईईपीएफ को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सभी संबंधित शेयरधारकों को 15-07-2017 तक उनके दावे भेजने के लिए अनुरोध करते हुए अनुस्मारक पत्र भेजे जा रहे हैं. अगर दावा नहीं किया जाता है तो इस खाते में बची हुई शेष राशि को आईईपीएफ खाते में आंतरित कर दिया जाएगा और उसके बाद उस संबंध में मौजूदा वैधानिक प्रावधानों के अनुसार कोई भी दावा शेयरधारकों को उपलब्ध नहीं होगा)

10. शेयरधारकों से अनुरोध

10.1 तुलन पत्र की प्रतियां

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां सामान्य बैठक में वितरित नहीं की जाएगी अत: शेयरधारकों से अनुरोध है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां साथ में लाएं जो बैंक द्वारा उनके पंजीकृत पतों पर डाक द्वारा भेजी जाती है.

10.2 शेयरों का अमूर्तीकरण

उन शेयरधारकों से जिनके शेयर प्रमाणपत्र अब भी मूर्त रूप में है, अनुरोध है कि अपने शेयरों का अमूर्तीकरण करवा लें, चूंकि सेबी ने हमारे बैंक का नाम अनिवार्य रूप से अमूर्त रूप में शेयरों का व्यापार करने की सूची में जोडा है.

10.3 पते में परिवर्तन अधिसूचित करना

शेयरधारकों से अनुरोध है कि पते में परिवर्तन/बैंक खाते में परिवर्तन होने पर तत्काल इसकी सूचना निम्न को दें.

क) अमूर्त रूप में धारित शेयरों के संबंध में अपने संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागी.

ख) मूर्त रूप में धारित शेयरों के संबंध में शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट : विजया बैंक, सी-101, 247 पार्क एलबीएस रोड,विखरोली (प), मुंबई - 400083.

ग) भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से यह अनुरोध भी है कि वे अपना ई-मेइल पता बैंक/ आर व टी एजेंट के साथ पंजीकृत करवाए/अद्यतन करवाए ताकि बैंक सभी सूचना/वार्षिक रिपोर्ट आदि ई-मेइल के जरिए प्रेषित कर सकें. डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपोसिटरी पार्टिसिपन्ट के साथ ई-मेइल पता अद्यतन करवाएं. यह, कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरु किए गए कंपनी मामलों में हरित पहल को लागू करने की योजना के अनुसार है.

10.4 फोलियो का समेकन:

शेयरधारक जो समान नाम या संयुक्त नाम पर उसी नाम क्रम में अलग-अलग फोलियो में मूर्त रूप में शेयर धारित करते हैं उनसे अनुरोध है कि शेयर प्रमाणपत्र बैंक के शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम प्राइवेट लिमिटेड को भेजें ताकि एक ही फोलियो के रूप में समेकन हो सके.

10.5 स्थिति में परिवर्तन का अभिलेखन

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक के शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को तत्काल निम्न सूचना दें :

क) स्थाई निवास के लिए भारत लौटते समय निवासीय स्थिति में परिवर्तन.

ख) भारत में स्थित बैंक खाते के विवरण जैसे पूरा नाम, शाखा, खाते का प्रकार तथा खाते की संख्या आईएफएससी कूट व एमआईसीआर कूट और पिन सहित बैंक का पता, अगर पहले नहीं दिया हो तो.

10.6 लेखों की सूचना

खातों की सूचना चाहनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक को पत्र लिखें, जो वार्षिक सामान्य बैठक के दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पहले बैंक को पहुंच जाता है जिससे प्रबंधन सूचना तैयार करके रख सके. उत्तर केवल वार्षिक सामान्य बैठक में ही उपलब्ध कराया जाएगा.

11. अन्य सूचना

11.1 हरित पहल का समर्थन करते हुए बैंक ने यह निर्णय लिया है कि जिन शेयरधारकों ने अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण अभिकर्ता के साथ अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत किया है, उनको वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिए भेजी जाएगी.

11.2 शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक के दौरान कोई उपहार/ उपहार कूपन वितरित नहीं किया जाएगा.

निदेशक मंडल के आदेश से

कृते विजया बैंक

ह/-

स्थान : बेंगलूर — **(डॉ. किशोर सांसी)**

दिनांक : 09.05.2017 — **प्रबंध निदेशक एवं सीईओ**

व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या. 3:

बैंक के पूंजी जुटाने का कार्यक्रम

i. बैंक बैंकिंग और संबंधित गतिविधियों का कारोबार करता है. वर्तमान में बैंक की प्राधिकृत पूंजी रु.3000 करोड़ है और बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी रु.998.85 करोड़ है और यथा 31 मार्च 2017 को बेसल III के तहत बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 12.73% है जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 10.25% से अधिक है.

ii. बेसल III पूंजी विनियमों के अनुसार धन की बढ़ती पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए और बोर्ड द्वारा तय किए जाने वाले सामान्य ऋण उद्देश्यों के लिए, बैंक की पूंजी पर्याप्तता में सुधार करने और बैंक के सामान्य व्यवसाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए बैंक का प्रस्ताव है.

iii. प्रस्तावित विशेष संकल्प, अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव, अधिकार निर्गम, अर्हक संस्थागत स्थानन के माध्यम से इक्विटी शेयर/अधिमान शेयरों का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम तथा आबंटन हेतु सदस्यों से किसी आगे के अनुमोदन की आवश्यकता के बिना निदेशक मंडल (मंडल) को बैंक के सदस्यों के प्राधिकार को सक्षम बनाने की अनुमति चाहता है.

iv. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2 ख) (ग) के अनुसार, बैंक की प्रदत्त पूंजी बढाने के लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करेगा. सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर अधिमान्य / क्यूआईपी आधार पर रु. 1000 करोड़ की इक्विटी शेयर पूंजी (प्रीमियम सहित) निर्गम करने का बैंक का प्रस्ताव है, जो उस तरीके से कि भारत सरकार का शेयर पूंजी 52% से कम नहीं है.

v. सेबी (एलओडीआर) विनियमक 2015 की विनियम 41 (4) प्रदान करता है कि जब भी बैंक द्वारा कोई आगे की निर्गम या प्रस्ताव किया जा रहा हो तो जब तक कि सामान्य बैठक में शेयरधारकों को अन्यथा तय नहीं किया जाता मौजूदा शेयरधारकों को समान आधार पर प्रस्तावित किया जाना चाहिए. यदि उक्त संकल्प पारित किया जाता है तो, बैंक की तरफ से बोर्ड को मौजूदा शेयरधारकों को अन्यथा यथानुपात आधार पर प्रतिभूतियों को निर्गम करने और आवंटित करने की अनुमति दी जाएगी.

vi. नोटिस की मद सं. 3 में निहित विशेष संकल्प चाहता है कि बैंक को अर्हक संस्थागत स्थानन के माध्यम से क्यूआईबी सहित विभिन्न तरीकों के द्वारा गैर-शेयरधारकों सहित व्यक्तियों को इक्विटी का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम तथा आबंटन करने में बैंक सक्षम हो.

vii. क्यूआईबी (अर्ह संस्थागत खरीदार) के साथ अधिकार निर्गम/ एफपीओ/क्यूआईपी (अर्ह संस्थागत स्थानन) सहित विभिन्न विकल्पों के अंतर्गत पूंजी जुटाने के लिए बैंक की 16 वीं वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य सभा की मंजूरी प्राप्त की गई थी. दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे निर्गम के लिए प्रस्तावों की वैधता एक वर्ष तक सीमित है. भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, एक बार फिर सामान्य सभा का अनुमोदन मांगा गया है.

viii. आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIIIV के अनुसार, क्यूआईपी के आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गम केवल उस मूल्य में होना चाहिए जो सुसंगत दिनांक से पूर्व दो सप्ताह के दौरान शेयर बाजार में उद्धृत शेयरों के अंतिम मूल्य के उच्च और कम के औसत से कम न हो.

ix. सुसंगत दिनांक का अर्थ उस बैठक का दिनांक होगा जिसमें बैंक का बोर्ड या समिति क्यूआईपी निर्गम खोलने का निर्णय लेती है.

x. इक्विटी शेयरों के निर्गम के लिए विस्तृत नियम और शर्तें, मंडल द्वारा मर्चेंट बैंकरों, अग्रणी प्रबंधकों, सलाहकारों और ऐसे अन्य प्राधिकारियों के साथ परामर्श द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो प्रचलित बाजार शर्तों और अन्य सुसंगत कारकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा निर्धारित किया जाना है.

xi. चूंकि बाद की स्थिति के अलावा प्रस्ताव का मूल्य निर्धारण का निर्णय नहीं लिया जा सकता है, शेयरों की कीमत सूचित करना संभव नहीं है. तथापि, यह आईसीडीआर विनियम के प्रावधानों के अनुसार होगा. जैसे मंडल अपने संपूर्ण विवेकाधिकार में उचित समझता है, संकल्प, ऐसे समय या समयों में ऐसे मूल्य या मूल्यों में बोर्ड / निर्गम समिति को एक या अधिक हिस्सों में उसमें सूचित निवेशकों के लिए इक्विटी शेयरों को जारी करने के अधिकार देने की इच्छा करता है. पूर्वोक्त कारणों के लिए, हमें पर्याप्त लचीलापन और निर्गम की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए मंडल को विवेकाधिकार देने के लिए एक सक्षम संकल्प प्रस्तावित किया गया है.

xii. जारी किए गए इक्विटी शेयर, लाभांश सहित बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी प्रकार से समान स्तर में रहेंगे.

आपके निदेशक नोटीस की मद सं. 3 में निर्धारित संकल्प की सिफारिश करते हैं.

बैंक के किसी भी निदेशक को बैंक में अपने शेयरधारिता की सीमा के अलावा, उपर्युक्त संकल्प(पों) में न रुचि है या वे उससे संबंधित हैं.

कार्य निष्पादन की झलकियाँ : 2016–17

व्यापार वृद्धि

- बैंक का कुल कारोबार ₹ 2,29,833 करोड़ के अभी तक के सबसे उच्चतम पर पहुँच गया है.
- कुल जमाएँ यथा 31.03.2016 के ₹ 12,5441 करोड़ से बढकर यथा 31.03.2017 को 6.04% की, वृद्धि के साथ ₹ 1,33,012 करोड़ हो गया है.
- बचत बैंक जमा 28.41% सुदृढ़ वृद्धि के साथ दिनांक 31.03.2017 को बचत बैंक जमा ₹ 28,835 करोड हो गया है.
- चालू खाता जमा 28.41% सुदृढ़ वृद्धि के साथ दिनांक 31.03.2017 को ₹ 8,564 करोड हो गया है.
- कासा जमा 28.41% की वृद्धि के साथ ₹ 37,398 करोड़ हो गया है.
- कुल जमाओं का कासा प्रतिशत 23.22% से 28.12% बढ़ गया है.
- खुदरा मीयादी जमा अग्रिम 31 मार्च, 2016 के ₹ 44,269 करोड़ से 31 मार्च 2017 तक 7.30% प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ ₹ 47,514 करोड़ हो गए हैं.
- अग्रिम 31.03.2016 के ₹ 90,765 करोड़ से 31.03.2017 तक 6.67% प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ ₹ 96,821 करोड हो गया है.
- खुदरा अग्रिम 31.03.2016 के ₹ 23,593 करोड़ से 31.03.2017 तक 24.33% बढ़ोत्तरी के साथ ₹ 29,335 करोड़ हो गए हैं.
- कुल अग्रिम का खुदरा अग्रिम का प्रतिशत यथा 31.03.2016 के 26% से बढ़कर यथा 31.03.2017 को 30.29% हुआ है.
- वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आवास ऋण और शिक्षा ऋण क्रमश: 29.09% तथा 21.35% की सुदृढ वृद्धि दर्ज किया है.
- ऋण जमा अनुपात में 31.03.2017 को 72.79% प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ सुधार हुआ है.

आय और लाभप्रदता

- बैंक का परिचालन लाभ ₹ 2421.15 करोड़ से 56.32% प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ ₹1548.87 करोड़ हो गया है.
- बैंक का निवल लाभ 96.56% की वृद्धि के साथ ₹ 381.80 करोड़ से ₹ 750.48 करोड़ रहा.
- शुल्क आधारित आय 35.12% की वृद्धि के साथ ₹ 528.66 करोड़ से ₹ 714.30 करोड़ रहा.
- बैंक की निवल ब्याज आय 27.01% की बढोत्तरी के साथ ₹ 2760.83 करोड़ से ₹ 3506.44 करोड़ रहा.
- निवल ब्याज मार्जिन में 2.27% से 2.77% तक 50 बीपीएस की बढोत्तरी हुई है.
- कुल अन्य आय 88.96% की बढोत्तरी के साथ ₹ 873.86 करोड़ से ₹ 1651.26 करोड़ रहा.

आस्ति गुणवत्ता

- यथा 31 मार्च 2016 के बैंक का सकल एनपीए अनुपात 6.64% प्रतिशत से यथा 31 मार्च 2017 को 6.59% के साथ सुधार हुआ है.
- यथा 31 मार्च 2016 के बैंक का निवल एनपीए अनुपात 4.81% प्रतिशत से यथा 31 मार्च 2017 को 4.36% के साथ सुधार हुआ है.
- प्रावधान कवरेज अनुपात में 58.15% तक बढोत्तरी हुई है.

प्राथमिकता क्षेत्र संचालन

- प्राथमिकता क्षेत्र संविभाग दिनांक 31.03.2016 के ₹ 38,003 करोड़ से दिनांक 31.03.2017 को बढ़कर ₹ 40,594 करोड़ रहा.
- बैंक ने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 41.35% प्रतिशत तक संविभाग को पहुँचाकर प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्य को हासिल किया है.
- वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के कृषि ऋण 13.51% प्रतिशत की वृद्धि के साथ, कमजोर वर्ग हेतु अग्रिम ₹ 15,632 करोड़ रहा.
- कमजोर वर्ग के अग्रिम ₹ 13,149 करोड रहा, जो 10% के मानदंड के प्रति एएनबीसी के 13.39% रहा.
- महिला हिताधिकारियों के लिए अग्रिम यथा 31 मार्च 2016 के ₹ 7,790 करोड के प्रति यथा 31 मार्च 2017 को 22% की वृद्धि दर दर्ज करके ₹ 9,500 करोड़ रहा. बैंक ने एएनबीसी के 5% के निर्धारित लक्ष्य के प्रति एएनबीसी के 9.68% हासिल किया है.

वित्तीय समावेशन

- बैंक ने ग्रामीण जनता को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए अपना विजया वित्तीय साक्षरता न्यास (वीएफएलटी) का गठन किया हैं. वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, बैंक ने 3 नए वित्तीय साक्षरता केंन्द्र खोले हैं इसके साथ बैंक के कुल 18 केन्द्र हो गए हैं.

- वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने सभी प्रकार के बचत बैंक खातों में आधार विवरण जोड़ने के लिए आधार दर्ज करने का अभियान शुरू किया था. वित्तीय वर्ष 2016-17 तक बैंक ने परिचालन पीएमजेडीवाई खातों में 88% हासिल किया है, केन्द्र शासित क्षेत्र में 72% परिचालन बचत बैंक खाते और सभी बचत बैंक परिचालन खातों में 62% रहा.
- पीएमजेडीवाई खाताधारकों के लिए बैंक के सभी एटीएम में स्वचालन ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध कराई गई है.
- सभी शाखाओं में और हैंड होल्ड मशीन / माइक्रो एटीएम में भी ई-केवाईसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है.
- बैंक ने पीएमजेडीवाई के अंतर्गत ₹ 191.41 करोड़ के कुल बचत के साथ 14.90 लाख मूल बचत बँक खाता खोला है, बेसिक बचत बैंक जमा खातों को खोला है और सभी खाता धारकों को रुपे डेबिट कार्डों को प्रदान किया गया है. 12.93 लाख खाते में आधार संख्या दर्ज की गई हैं. बैंक ने ₹104.81 लाख के साथ ओवरड्राफ्ट सुविधा 6107 पीएमजेडीवाई खाता धारकों को मंजूर की है.

इन्फोटेक प्रगति

- वर्ष के दौरान, बैंक ने कई आईटी आधारित उत्पादों जैसे साफ्टवेयर टोकन - दो कारक प्रमाणीकरण के एक अतिरिक्त माध्यम, ग्राहक के द्वारा अपने आप इंटरनेट बैंकिंग (वी-नेट बैंक) को सक्षम और असक्षम सुविधा प्रदान करने के लिए टॉगल वी-नेट बैंकिंग का प्रारंभ किया है.
- बैंक ने फेसबुक, ट्विटर, लिंक्ड इन, यूट्यूब और इंस्टाग्राम में अपनी उपस्थिति के साथ सोशियल मीडिया बैंकिंग में कदम रखा है.
- डिजिटल बैंकिंग क्षेत्र में प्रगति करते हुए बैंक ने डिजिटल गांव प्रारंभ किया है और यह पहल शुरू करने वाले के उद्योग में हम ही सर्वप्रथम हैं.
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड कारोबार में 87.75% की वृद्धि हुई है.
- बैंक ने पिछले वित्तीय वर्ष के 10.76 लाख कार्डों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14.46 लाख कुल डेबिट कार्ड जारी किया है.

पूंजी-पर्याप्तता

- बैंक ने बेसल III मानदंडों का अनुपालन किया है और यथा 31.03.2017 को 10.25% के न्यूनतम विनियामक पूंजी के प्रति सकल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.73% (टियर I - 9.96%, टियर - II 2.77%) है.
- बैंक ने बेसल II मानदंडों का भी अनुपालन किया है और यथा 31.03.2017 को समग्र पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.95% रहा है, जिसका न्यूनतम निर्धारित मानदंड 9% है.
- वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बेसल III अनुरूप अतिरिक्त टियर-बांड के जरिए अतिरिक्त टीयर I की ₹ 325 करोड़ राशि को बढाते हुए बैंक अपनी पूंजी की स्थिति संवर्धित की है और आंतरिक संचय के जरिए ₹ 420.12 करोड़ तक उपार्जन (विनियामक पूंजी हेतु गणना) बरकरार रखा है.
- यथा 31.03.2017 के न्यूनतम एलसीआर के 80% के प्रति यथा 31.03.2017 को बैंक के चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) 160.47% रहा और भारतीय रिज़र्व बैंक के 4.50% के सूचक अनुपात के प्रति यथा 31.03.2017 को बैंक के लीवरेज अनुपात 5.36% रहा.